

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/एफ.00751/2023/32

दिनांक : 09/01/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को राज्य सेवा में 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथी	स्वीकृत एसीपी	
						पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री सत्येन्द्र नाथ मंगल, वरिष्ठ सहायक	अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर।	13.01.1986	27 वर्ष	13.01.2013	9300-34800	3600
2.	श्री सुजीत कुमार परिहार, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिदूसर, जोधपुर।	25.03.1996	18 वर्ष	25.03.2014	9300-34800	3600

उक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 09/01/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/एफ.00751/2023/32

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिदूसर, जोधपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5233385

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :07-01-2024 09:44:27